रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 230] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 14, 1971/अग्रहायण 23, 1893

No 230] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 14, 1971/AGRAHAYANA, 23, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

SE 29/11/72

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December 1971

G.S.R. 1885.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with clause (d) of sub-section (1), of section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), and sub-rule (4) of rule 3 of the Food Corporations Rules, 1965, the Central Government hereby re-appoints Shri J. A. Dave as the Managing Director of the Food Corporation of India with effect from the 6th December, 1971 (Afternoon).

[No. F. 4-5/67-FCC.]

A. K. MAJUMDAR, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1971

सा० का० नि० 1885.— खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित उपधारा (2) और खाद्य निगम नियम, 1965 के नियम 3 के उप-नियम (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री जे० ए० दवे को भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में 6 दिसम्बर, 1971 (अपराह्न) से पुनः नियुक्त करती है।

[सं० फा० 4-5/67-एफ० सी० सी०]

ए० के० मजुमदार, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971